न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 31/2015

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर		भगवानाराम पुत्र हरजीराम जाति विश्नोई निवासी धमाल तहसील सांचोर जिला जालोर हाल निवासी मैं. महादेव दूध डेयरी धोरीमना जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ा) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महेन्द्रसिंह चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 24.01.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 30.04.2015 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त मैसर्स महादेव दूध डेयरी धोरीमना दोपहर 12.00 पहुॅचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम भगवानाराम पुत्र हरजीराम जाति बिश्नोई निवासी धमाल तहसील सांचोर जिला जालोर हाल धोरीमना जिला बाड़मेर (मैं. महादेव दूध डेयरी धोरीमना जिला बाड़मेर) मालिक होना बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स महादेव दूध डेयरी धोरीमना का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे एक केन में दूध (मिक्स) करीबन 35 लीटर आम जनता को विक्रय करने के लिये पाया गया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 50/– रूपये अदा किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सीरियल नम्बर पी.501 चिपकाकर चिपडी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.501 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया एंव आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया तथा एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर, ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाद्य पेय पदार्थ दूध (मिक्स) नमूना पी.501 की जॉच रिपोर्ट एलएस/283/एक्ट/2015/281 दिनांक 06.05.2015 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर को प्राप्त हुई, जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद निस्तारण हेतु पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.501 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से श्री महेन्द्रसिंह चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 30.04.2015 को गश्त करते हुए मैसर्स महादेव दूध डेयरी धोरीमना पहुॅचने पर दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे एक केन में करीबन 35 लीटर दूध (मिक्स) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। उक्त दूध में मिलावट होने का सन्देह होने पर उक्त दूध का नियमानुसार नमूना लिया गया। जांच के दौरान दूध (मिक्स) का नमूना पी.501 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। अप्रार्थी के विरूद्व वर्ष 2014 में अवमानक दूध रखने एवं बेचने का परिवाद दर्ज है। अप्रार्थी अवमानक दूध रखने एवं बेचने का अम्यस्त है, इसलिये अप्रार्थी पर अधिक से अधिक जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अप्रार्थी विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी आस–पास के गांवो से दूध इकट्टा कर अपनी दुकान में बेचता है। अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार एकत्रित किये गये दूध में अपने स्तर पर किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के प्रावधानो का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिये प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/283/एक्ट/2015/281 दिनांक 06.05.2015 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा रहा दूध का नमूना, जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी भगवानाराम द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत पाये गये दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अप्रार्थी पर पूर्व में भी अवमानक दूध बेचने का परिवाद दर्ज है जिससे यह प्रतीत होता हैं कि अप्रार्थी अवमानक दूध रखने एवं बेचने का अम्यस्त है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 64 के तहतं अप्रार्थी भगवानाराम पर रूपये 15000/–(अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 24.01.2017 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 24.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर